

प्रपत्र सं० 60

(नियम 114B तीसरा प्रावधान देखें)

घोषणा प्रपत्र जो ऐसे व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जाएगा , उसके पास न तो स्थायी लेखा संख्या है और न ही सामान्य इंडेक्स पंजीकरण संख्या तथा जो नियम 114वीं के (क्लॉसेज़) खंडी के निर्देश सौदों के बारे में नगद भुगतान करता है।

1.घोषणाकर्ता का पूरा नाम व पता

2.सौदे का विवरण :-

3.सौदे की राशि :-

4.क्या आपका कर निर्धारण होता है ? हाँ / नहीं

5.यदि हाँ ,

(क)वार्ड / सर्किल / रेंज का ब्यौरा , जहाँ अंतिम आय रिटर्न दाखिल की गयी थी ?

(ख) स्थायी लेखा संख्या इंडेक्स पंजीकरण संख्या न होने का कारण ?

6.कॉलम 1 में पते की पुष्टि में प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज ।

सत्यापन

मैंएतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरा जानकारी और विश्वास के अनुसार उपरोक्त तथ्य सही हैं आज 20..... के
.....महीने की तिथि को सत्यापित

तिथि :

स्थान :

घोषणाकर्ता का हस्ताक्षर

अनुदेश : पते की पुष्टि के प्रस्तुत किये जा सकने वाले दस्तावेज

(क) राशन कार्ड

(ख) पासपोर्ट

(ग) वाहन चालक लाइसेंस

(घ) किसी संस्थान द्वारा जारी परिचय-पत्र

(ङ) निवास अ पता दर्शाने वाले बिजली या टेलीफोन बिल की प्रति

(च) केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय निकायों के किसी local bodies द्वारा जारी निवास पता दर्शाने वाला कोई दस्तावेज या पत्र

(छ) अन्य कोई दस्तावेज सबूत हो घोषणा पत्र में दिए पते की पुष्टि करता हो ।